

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना

संख्या:—02/आ०प्र०—25/2025/...3630...../आ०प्र० पटना, दिनांक—26-09-25

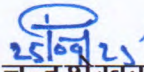
आपदा प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2025 (2025 का 10) की धारा 41A की उप-धारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा राज्य के सभी नगर निगम में “शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण” (जिसे इन नियमों में शहरी प्राधिकरण के रूप में जिक्र किया जाएगा) का गठन करती है, जो इस अधिनियम के तहत इसे सौंपे गए विभिन्न कार्यों को करेगी तथा जिसमें उक्त अधिनियम की धारा 41A की उप-धारा (2) में यथा विनिर्दिष्ट निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

(i)	नगर आयुक्त	-	अध्यक्ष
(ii)	जिला पदाधिकारी	-	उपाध्यक्ष
(iii)	वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक	-	सदस्य
(iv)	उप विकास आयुक्त	-	सदस्य
(v)	असैनिक शल्य चिकित्सा पदाधिकारी	-	सदस्य
(vi)	संबंधित विभाग के कार्यपालक अभियंता	-	सदस्य
(vii)	अध्यक्ष द्वारा विशेष आमंत्रित व्यक्ति	-	सदस्य

2. परन्तु जहाँ जिला पदाधिकारी संबंधित नगर आयुक्त से वरीय होंगे, वहाँ जिला पदाधिकारी के स्थान पर संबंधित अपर समाहर्ता के द्वारा शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में भाग लिया जा सकेगा।

3. शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा आपदा प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2025 की धारा 41A की उप-धारा (3), (4) एवं (5) में निहित कार्यों का निष्पादन किया जाएगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(
(डॉ० चन्द्रशेखर सिंह)
सचिव

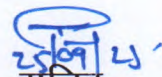
ज्ञापांक:—02/आ०प्र०—25/2025/...3630...../आ०प्र० पटना, दिनांक—26-09-25

प्रतिलिपि:—महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(
सचिव

ज्ञापांक:—02/आ०प्र०—25/2025/...3630...../आ०प्र० पटना, दिनांक—26-09-25

प्रतिलिपि:—सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी नगर आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(
सचिव

ज्ञापांक:-02/आ०प्र०-25/2025/...3630.../आ०प्र० पटना, दिनांक-26-09-25
प्रतिलिपि:-पुलिस महानिदेशक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव

ज्ञापांक:-02/आ०प्र०-25/2025/...3630.../आ०प्र० पटना, दिनांक-26-09-25
प्रतिलिपि:-सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव

ज्ञापांक:-02/आ०प्र०-25/2025/...3630.../आ०प्र० पटना, दिनांक-26-09-25
प्रतिलिपि:-सचिव, बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव

ज्ञापांक:-02/आ०प्र०-25/2025/...3630.../आ०प्र० पटना, दिनांक-26-09-25
प्रतिलिपि:-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु अधिसूचना की प्रति एवं सी0डी0 के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनुरोध है कि अधिसूचना गजट की सौ प्रति विभाग को उपलब्ध करा दी जाय।

सचिव

ज्ञापांक:-02/आ०प्र०-25/2025/...3630.../आ०प्र० पटना, दिनांक-26-09-25
प्रतिलिपि:-संयुक्त सचिव (आपदा प्रबंधन), गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव